उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0–सी 84 /तक0प्र0/18–19 दिनॉक 16-1-2019

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

विषय–डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)–एवं राष्ट्रीय पशुधन मिशन (ईडीईजी) घटक के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–16/तक0प्र0/2017–18 दिनॉक 01.05.17, परिपत्र सं0 सी–32 /तक0प्र0/2017–18 दिनॉक 06.07.17,व परिपत्र सं0 सी–65/तक0प्र0/2018–19 दिनॉक 02.11.18 एवं परिपत्र सं0 सी–80/तक0प्र0/2017–18 दिनॉक 11.01.18 के द्वारा ऋण उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के आवश्यक निर्देश दिए गये है किन्तु खेद का विषय है कि अद्यतन आप द्वारा ऋण उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पुनः आपको निम्नवत् निर्देश प्रेषित किये जा रहे है जिसका अनुपालन प्रत्येक दशा में करते हुए संदर्भित योजनान्तर्गत सदपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

1.प्राय' यह देखा जा रहा है कि नाबार्ड से प्राप्त अनुदान लाभार्थी के खाते में समयान्तर्गत समायोजन नही किया जा रहा है अथवा असमायोजित धनराशि को तत्काल मुख्यालय प्रेषित न कर अति बिलम्ब से वापस किया जा रहा है जो नाबार्ड के नियमो की अवहेलना का घोतक है।

2.आप अवगत ही है कि नाबार्ड के नियमानुसार उक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावो/ सूचनाओ को समय से नाबार्ड को प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है इसमें बिलम्ब होने के कारण ऋण ग्राही को अनुदान से वंचित रहने की सम्भावनाये बढ जाती है जिससे शाखाओ पर विवाद होना भी स्वाभाविक है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सूचनाये तक0 अनु0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में यदि कोई विधिक विवाद/विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो शाखा प्रबन्धक व शाखा आंकिक सयुक्त रूप से उत्तरदायी होगे।

3. बैंक मुख्यालय द्वारा समय–समय पर इस आशय के निर्देश प्रेषित किये गये है कि प्रथम किश्त निर्गत किये जाने के पश्चात द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने वाली अवधि के विषय में सूचित करे किन्तु अद्यतन किसी शाखा द्वारा वांछित सूचना प्रेषित नही की गई है जो प्र0का0 के निर्देशो की अवहेलना है।

4. प्रायः देखा जा रहा है कि उक्त विषयक योजनान्तर्गत ऋण ग्राही द्वारा प्रथम किश्त के आहरण के उपरान्त द्वितीय किश्त नही ली जाती है अथवा समय से पूर्व खाता बन्द कर दिया जाता है यह स्थिति फील्ड स्टाफ द्वारा लाभार्थियो के त्रुटिपूर्ण चयन के विषय में इंगित करती है द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने के कारण ऋण की सदपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। उक्त योजना के प्रारम्भ से अद्यतन तक प्रोजेक्टो में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रत्येक दशा में तक0 अनु0 को एक माह के अर्न्तगत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे नाबार्ड को समयार्न्तगत सूचना प्रेषित किया जा सके।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि बैंक को होती है तो शाखा प्रबन्धक व आंकिक संयुक्त रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदार होगे।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

1) समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की समस्त शाखाओं से उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करे।

(2) समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(3) उप महाप्रबन्धक (कम्प्यू0),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई–मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तकनीकी)